संख्या-3746/1-10-2013-12(39)/13

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक : 17 जनवरी, 2014

विषय जनपद लखनऊ में वर्ष 2013-14 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना /मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि का धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-129/सी0आर0ए0(आपदा)/2013, दिनांक 10-09-2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ में वर्ष 2013-14 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना /मरम्मत हेतु जिला स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा अनुमोदित लो0नि0विभाग, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत 36 कार्यो/परियोजनाओं हेतु जिनकी कुल लागत रू0 5,41,37,000/- है एवं जो रू0 50.00 लाख से अनधिक तक की हैं। मांगी गयी/आंकलित कुल धनराशि रू0 5,41,37,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 2,70,68,500/- (**रूपये दो करोड सत्तर लाख अड़सठ हजार पॉच सौ मात्र**) आपके निवर्तन पर रखने का शासनादेश संख्या-3379/1-10-2013, दिनांक 08.11.2013 द्वारा अनुमति/स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- उक्त शासनादेश के क्रमांक संख्या-22 पर लखनऊ सुल्तानपुर से सलेमपुर मार्ग के आगणन रू0 18.00 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि स्वीकृत की गयी है। इस शासनादेश के क्रमांक-22 पर अंकित लखनऊ सुल्तानपुर से सलेमपुर मार्ग के स्थान पर लखनऊ सुल्तानपुर से सलेमपुर मार्ग के आबादी भाग में जलभराव होने के कारण क्षतिग्रस्त नाली के निर्माण पढ़ा जाय।

3- उक्त सीमा तक पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 08.11.2013 संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

Aapda dh. in mangal 66

संख्या-3746(1)/1-10-2013, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

4- आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ

5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।

6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।

7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट **एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन** पर अपलोड किये जाने हेतु ।

8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।

9- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी लखनऊ ।

10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

11- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।

12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
17/1/14
(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।

Aapda dh. in mangal 67